5/6/17

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार कैमप कोर्ट सान्दरसर मे प्रस्तुत हुई। वादी स्वंय उपस्थित है। पत्रावली का तथा विकय पत्र का अवलोकन किया गया वादी द्वारा दिनांक 18.05.2011 के विकय पत्र के आधार पर स्वयं के नाम खातेदारी अधिकार की घोषणा बाबत् दावा प्रस्तुत किया है। रजिस्टर्ड विकय पत्र के अवलोकन करने पर हम पाते है कि वादी द्वारा ग्राम कानरपुरा ख0न0 524 रकबा 0.82हैक्टयर भूमि मे से दुकानो के भूखण्ड जिसकी नाम पूर्व पश्चिम लम्बाई 22 फीट व उत्तर दक्षिण चौडाई 44 फीअ जिसका कुल क्षेत्रफल 107.55 वर्गगज (89.93 वर्ग मीटर) का कय किया है।

वादी द्वारा भूखण्ड का कय वर्गगज के क्षेत्रफल में किया है। जिसका राजस्व रिकार्ड मे अंकन का प्रावधान नही है। वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत करते हुए वर्गगज में दुकानों के खरीदे गये भूखण्उ का प्रतिवादी सं0 7 व 8 के हिस्से मे से 5893/102500 भाग हिस्से की खातेदारी घोषणा व तकासमें का अनुतोष चाहा है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे इस प्रकार नियम विरूद्ध व्यावसायिक प्रयोजनार्थ खरीदे गये भूखण्डों की खातेदारी घोषणा का कोई प्रावधान नही है बल्कि कृषि भूमि की घोषणा करवाने हेतु ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है। वादी द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र व ब्ल्यू प्रिन्ट से स्पष्ट है कि उक्त भूमि को वादी ने दूकानो के भूखण्ड के रूप मे खरीदा है। वादी का वाद सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. मे अर्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये वादी का वाद इसी स्तर पर आदेश 7 नियम 11 मे खारिज किया जाता है। डिकी जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible], जिला [illegible]

Scanned by CamScanner

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सान्दरसर)

पीठासीन अधिकारी :–अशोक कुमार योगी (R.A.S)

उनवान

1. कैलाश चन्द यादव पुत्र श्री नारायण लाल यादव, जाति अहीर, निवासी ग्राम कानरपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

वादी

बनाम

1. रामदयाल पुत्र श्री बद्रीनारायण
2. श्रवण कुमार पुत्र बलदेव
3. विमला देवी पत्नि धन्नाराम
4. सोनाराम पुत्र लच्छुराम
5. रामकुवार पुत्र लादूराम
6. रामलाल पुत्र भक्ताराम
7. कैलाश चन्द पुत्र नानगराम
8. जानकी देवी पत्नि नानगराम
9. भूरा पुत्र भैंरू
10. गोपी पुत्र मेवाराम
11. उपपंजीयक महोदय, उपपंजियक कार्यालय चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :– **96 / 2012**

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू अशोक कुमार योगी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्रा0 डिक्री दी जाती है कि आदेश 7 नियम 11 सहपठित धारा 151 सी.पी.सी. में अर्तनिहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये वादी का वाद इसी स्तर पर आदेश 7 नियम 11 में खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हों।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प सान्दरसर मे आज तारीख 05.06.2017 को जारी किया गया।

मोहर

(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner